भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन

सं0 840-7/2007-सीएस

दिनांक 04.07.2007

विषय : उपग्रह लाइसेंस करार द्वारा वैश्विक मोबाइल वैयक्तिक संचार (जीएमपीसीएस) में संशोधन ।

जीएमपीसीएस लाइसेंस करार के खण्ड 5.1 के अनुसरण में अन्य बातों के साथ-साथ, जनहित में अथवा राज्य की सुरक्षा के हित में अथवा सेवा के समुचित संचालन के लिए लाइसेंस की निबंधन और शर्तों को किसी समय संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए, लाइसेंसदाता एतद्द्वारा जीएमपीसीएस लाइसेंस की निबंधन और शर्तों में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करता है :-

(क) उपग्रह लाइसेंस करार द्वारा वैश्विक मोबाइल वैयक्तिक संचार की निबंधन और शर्तों जिन्हें यहां "जीएमपीसीएस लाइसेंस करार के रूप में उद्धृत किया गया है के भाग-। के खण्ड 1.1 से 1.4 तक के स्थान पर निम्नलिखित खण्डों का उल्लेख किया जाएगा।

1.1 लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित एफडीआई मानदंडों के अध्यधीन लाइसेंसधारी कंपनी की प्रदत्त पूंजी में कुल विदेशी इक्विटी, संपूर्ण लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय कुल इक्विटी के 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(i) लाइसेंसधारी कंपनी में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के विदेशी निवेश को एफडीआई की उच्चतम सीमा के प्रयोजनार्थ जोड़ा जाएगा। विदेशी निवेशों में इनके द्वारा किए गए निवेश शामिल होंगे :- विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) विदेशी मुद्र परिवर्तनीय बॉन्ड (एफसीसीबी), अमरीकी जमा रसीद (एडीआर), वैश्विक जमा रसीद (जीडीआर) तथा विदेशी संस्था द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयर। अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश से तात्पर्य लाइसेंसधारक कंपनी और उसकी हॉल्डिंग वाली कंपनी/कंपनियों या विधिक निकाय (म्युचुअल फंड, न्यास) के शेयरों को धारित करने वाली कंपनी/कंपनियों में समानुपाती आधार पर विदेशी निवेश करने से है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित लाइसेंसधारक कंपनी के शेयरों को "भारतीय हॉल्डिंग" के रूप में माना जाएगा। किसी भी स्थिति में "भारतीय" शेयर हॉल्डिंग 26 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(ii) 49 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वतः रूप से जारी रहेगा। लाइसेंसधारक कंपनी/भारतीय प्रवर्तकों/निवेशक कंपनियों तथा उसकी हॉल्डिंग कंपनियों में यदि 74 प्रतिशत की संपूर्ण उच्चतम सीमा में फर्क पड़ता है तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड (एफआईपीबी) का अनुमोदन अपेक्षित होगा। निवेश प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय एफआईपीबी इस बात पर ध्यान देगा कि यह निवेश ऐसे देशों से जिनसे सावधान रहने की जरूरत है और/या शत्रुतापूर्ण निकायों से तो नहीं हो रहा है।

(iii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भारत के कानून के अध्यधीन होगा न कि विदेशी देश/देशों के कानून के अध्यधीन ।

1.2 लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि शेयरधारिता में कोई भी परिवर्तन सभी जरूरी सांविधिक आवश्यकताओं के अध्यधीन होगा।

1.3 लाइसेंसधारक कंपनी में भारतीय और विदेशी इक्विटी होल्डिंग (प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों) की घोषणा करेगा तथा लाइसेंसप्रदाता के समक्ष एफडीआई मानदंडों और सुरक्षा शर्तों की बिना शर्त अनुपालन रिपोर्ट छमाही आधार पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रस्तुत करेगा। अनुपालन संबंधी रिपोर्ट को लाइसेंसधारक कंपनी के कंपनी सचिव अथवा सांविधिक लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(ख) जीएमपीसीएस लाइसेंस कारार को सामान्य निबंधन एवं शर्तों के भाग-I के खण्ड 41.8 के बाद, निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा, नामतः

"**41.9.** लाइसेंसधारक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा :

(i) तकनीकी नेटवर्क प्रचालन के मुख्य प्रभारी अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी निवासी भारतीय नागरिक होना चाहिए।

(ii) अवसंरचना/नेटवर्क आरेख (डायग्राम) (नेटवर्क के तकनीकी ब्योरे) का ब्योरा केवल आवश्यकता के आधार पर ही दूरसंचार उपस्कर आपूर्तिकताओं/विनिर्माताओं तथा लाइसेंसधारक कंपनी के सहयोगी/मूल कंपनी को प्रदान किया जा सकता है। यदि ऐसी सूचना किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान की जानी है तो इसके लिए लाइसेंस प्रदाता (दूरसंचार विभाग, भारत सरकार) की अनुमति अपेक्षित होगी।

(iii) सुरक्षा कारणों से ऐसी निकायों (कंपनियों) के घरेलू परियात को भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाया/भेजा नहीं जाएगा। इस प्रयोजनार्थ भारत में घरेलू परियात के लिए कार्यरत उपग्रहों की अवस्थिति को भारत से बाहर नहीं माना जाना चाहिए।

(iv) लाइसेंसधारक कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समयोचित उपाय करेगा कि नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा आदान-प्रदान की गई सूचना सुरक्षित और संरक्षित है।

(v) संदेशों के विधिसम्मत अंतरावरोधन का कार्य करने वाले लाइसेंसधारक कंपनियों के अधिकारी/कर्मचारी निवासी भारतीय नागरिक होंगे।

(vi) कंपनी के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे।

(vii) यदि अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) और/मुख्य वित्त अधिकारी का पद विदेशी नागरिकों द्वारा धारित हो तो गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा की जानी अपेक्षित होगी। आवधिक रूप से वार्षिक आधार पर सुरक्षा जांच अपेक्षित होगी। सुरक्षा जांच के दौरान किसी प्रतिकूल बात का पता चलने की स्थिति में गृह मंत्रालय के निवेश लाइसेंसधारक पर बाध्यकारी होगा।

(viii) कंपनी भारत के बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को निम्नलिखित का अंतरण नहीं करेगी

(क) उपभोक्ता से संबंधित कोई लेखांकन सूचना (टिप्पणी : यह सांविधिक रूप से अपेक्षित वित्तीय स्वरूप की सामग्री के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता) और

(ख) प्रयोक्ता सूचना (रोमिंग के समय भारतीय प्रचालक के नेटवर्क का प्रयोग करने वाले विदेशी उपभोक्ता से संबंधित सूचना को छोड़कर) ।

(ix) कंपनी को अपने उपभोक्ताओं की खोजने योग्य पहचान अवश्य देनी चाहिए।

(x) लाइसेंसप्रदाता या लाइसेंसप्रदाता द्वार प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के अनुरोध पर लाइसेंसधारक को किसी दिए गए समय में किसी उपभोक्ता की भौगोलिक अवस्थिति की जानकारी प्रदान कराने में सक्षम होना चाहिए।

(xi) नेटवर्क पर दूरस्थ अभिगम (आरए) भारत में अनुमोदित स्थल (स्थलों) के माध्यम से बाहरी अनुमोदित स्थल (स्थलों) पर ही प्रदान किया जाएगा स्थल (स्थलों) के लिए अनुमोदन लाइसेंस प्रदाता द्वारा सुरक्षा एजेंसियों के परामर्श से दिया जाएगा।

(xii) किसी भी परिस्थिति में, विधिसम्मत अवरोधन प्रणाली (एलआईएस), विधिसम्मत अवरोधन मानीटरिंग (एलआईएम), परियात की कॉल संबधी विषय-वस्तु तथा ऐसे किसी संवेदनशील क्षेत्र/डाटा जिसे समय-समय पर लाइसेंसदाता ने अधिसूचित किया हो, पर आपूर्तिकर्त्ताओं/विनिर्माताओं तथा सहयोगी(सहयोगियों) को किसी भी दूरस्थ अभिगम के अभिगमन में समर्थ नहीं होना चाहिए।

(xiii) लाइसेंसधारक कंपनी को विषय-विरस्तु की निगरानी के लिए दूरस्थ अभिगम सुविधा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

(xiv) नामित सुरक्षा एजेंसी/लाइसेंसदाता के भारतीय परिसर पर उपयुक्त तकनीकी तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें दूरस्थ अभिगम सूचना की एक वास्तविक छाया प्रति निगरानी के प्रयोजनार्थ ऑन लाईन उपलब्ध हो।

(xv) भारत में प्रचालित नेटवर्क संबंधी दूरस्थ अभिगम कार्यकलापों के पूर्ण लेखा-रिकार्ड का छह महीने की अवधि के लिए रख-रखाव किया जाना चाहिए तथा इसकी प्रति लाइसेंसदाता या लाइसेंसदाता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के अनुरोध पर दी जाए।

(xvi) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केन्द्रीकृत स्थल से विधिसम्मत अवरोधन तथा मानिटरिंग करने के लिए उनके उपस्कर में आवश्यक व्यवस्था (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) उपलब्ध हो।

(xvii) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपनी प्रणालियों के संबंधित प्रचालनों/विशेषताओं के बारे में सतर्कता तकनीकी मानीटरिंग (वीटीएम)/सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों/कर्मचारियों को परिचित कराना/प्रशिक्षण देना चाहिए।

(xviii) राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी संवेदनशील क्षेत्र में प्रचालन करने से लाइसेंसधारक कंपनी पर रोक लगाना लाइसेंसदाता पर निर्भर करेगा।

(xix) वॉइस एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, मॉनीटरिंग करने हेतु केवल संघ सरकार के गृह सचिव अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह सचिवों द्वारा ही प्राधिकार प्रदान किया जाएगा।

(xx) परियात की मानीटरिंग करने के लिए, लाइसेंसधारक कंपनी सुरक्षा एजेंसियों को अपने नेटवर्क तथा अन्य सुविधाओं के साथ-साथ बही खातों को भी उपलब्ध कराएगी ।

2. लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस प्रदाता को जीएमपीसीएस लाइसेंस करार के खण्ड 1.1 और सुरक्षा शर्तों के प्रति बिना शर्त का अनुपालन रिपोर्ट अधिक से अधिक जुलाई, 2007 की 18 तारीख तक तथा तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रस्तुत की जाएगी।

3. जीएमपीसीएस लाइसेंस करार की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(राजवीर शर्मा)
निदेशक (सीएस-I)
दूरभाष : 23036289

प्रति :-

1. बेतार सलाहकार (डब्ल्यूपीसी)
2. वरिष्ठ उप महानिदेशक (एलएफ) दूरसंचार विभाग/वरिष्ठ उप महानिदेशक (सतर्कता)/वरिष्ठ उप महानिदेशक (टीईसी)
3. उप महानिदेशक (एएस)/उप महानिदेशक (डीएस)/संयुक्त सचिव (टी)
4. सचिव, ट्राई।